न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/24/2024	2024/56	07.08.2024	06.02.2025

1. गोकल पुत्र पूनिया निवासी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़ निर्णय दिनांक 27.12.2022 प्र.सं. 124/22

उपस्थितः—

01—श्री प्रकाश चन्द सागर —वकील अपी0

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 27.12.2022 जिसके द्वारा अपी0 को अतिक्रमी करार देते हुए आराजी ख0नं0 390 रकबा 40.00 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नंबर 391 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम बगडराजपूत तहसील रामगढ़ की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित रकबे से बेदखल एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण फलस्वरूप 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हल्का पटवारी बगड राजपूत द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राजस्थान के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम बगड राजपूत की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 40.00 हैक्टर एवं आराजी खसरा नम्बर 391 रकबा 1.27 में से 1.67 हैक्टर पर गैरसायल/अपीलांट द्वारा अवैध रूप से गेहूं, सरसो काश्त पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 का उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू अभिलेख निरीक्षक वृत बगड मेव के तहत न्यायालय में पेश की गई। जिसके बाद अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस मिन अपीलांट को जारी किया गया तथा प्रकरण मे दिनांक 27.12.2022 को आलोच्य निर्णय पारित करते हुये आदेश दिया गया कि गैरसायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखल के आदेश पारित किये गये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने एवं गैरसायल की गिरफतारी हेतु संबंधित पुलिस थाना को गिरफतारी वारंट जारी कर दण्ड स्वरूप लगान 3.34 रूपये का 50 गुना रूपया 167/—रूपये पैनल्टी आरोपित की जाकर मांग कायमी हेतु टीआरए तहसील हाजा को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली, फसल नीलामी एवं बेदखली हेतु पत्रावली/भू.अ. निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर फरमाई गई। आलोच्य आदेश की प्रति संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मिन प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 40.00 हैक्टर एवं आराजी खसरा नम्बर 391 रकबा 1.27 में से 1.67 हैक्टर वाके ग्राम बगड़ राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है और ना ही किसी प्रकार की कोई फसल बोई गई है। मात्र हल्का पटवारी के प्रार्थना पत्र व बयान के आधार पर उपरोक्त प्रकरण मे तहत न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश सादिर फरमाया गया है जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है। मिन अपीलांट को जो नोटिस प्राप्त हुआ है उसका जवाब मिन अपीलांट द्वारा दिया जा चुका है। जिसमें भी मिन अपीलांट द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि मिन अपीलांट द्वारा कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया हुआ हैं। मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर मिन अपीलांट को अतिक्रमी कहा गया है, जबकि मिन अपीलांट उक्त आराजी पर अतिकमी नहीं है ना ही मिन अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है। इसलिये तहत अदालत का आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के आधार पर तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से अपीलांट को दण्डित किया गया है, जबकि हल्का पटवारी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पूर्व निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर पेश करनी होती है, लेकिन उक्त प्रकरण मे हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर तहत न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है। तहत न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के बयान साईक्लिोस्टाईल मे दिये गये हैं तथा न्यायालय आदेश भी प्रिन्टेड फोरमेट में पहले से छपे हुये आदेश मे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए किया गया है। अपीलाधीन प्रकरण का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति मे किया गया है अपीलांट को सुनवाई का व जवाबदेही का समुचित अवसर प्राप्त नही हुआ है, जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था।

अपीलांट को तहत न्यायालय मे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। तहत न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर उक्त आदेश पारित किया गया है। अपील हाजा तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर के आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरूद्ध पेश की जा रही है जो आदेश एकतरफा मे फरमाये गये है। अपील हाजा कोर्ट श्रीमान सुनवाई क्षेत्राधिकार मे हैं। निर्णय न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 124/22 की मिन अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी मिन अपीलांट निर्णय के दिन तहत अदालत में उपस्थित नहीं था जिस कारण मिन अपीलांट को तहत अदालत के निर्णय की पूर्व में जानकारी नही हो सकी। इसलिये अपील समयावधि में पेश नहीं की जा सकी। जिसमें मिन अपीलांट की कोई लापरवाही या बदयांती नही हैं।

उक्त निर्णय दिनांक 27.12.2022 की जानकारी मिन अपीलांट को दिनांक 05.07.2024 को हुई। जिस पर नकल हेतु आवेदन किया गया तथा नकल दिनांक 11.07.2024 को सायंकाल प्राप्त हुई। उसके बाद दिनांक 11.07. 2024 को नकल वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली। तब वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान मे पेश करने की राय दी। जिसके बाद अपील करने के लिये आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 05.07.2024 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा मुकदमा संख्या 124/22 बअनुवान सरकार बनाम गोकल मे पारित निर्णय 27.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपी0 को अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपी0 खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरूद्व दिनांक 24.07.2024 को पेश की गयी है जो करीब 01 साल 8 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का बगड़ राजपूत मय ताईद भू.अ.नि. वृत बगडमेव की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 390 रकबा 40.00 है0 एवं आराजी ख0नं0 391 रकबा 1.27 है0 किस्म चारागाह भूमि वाके ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ़ में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बगड़ राजपूत अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 390 रकबा 40.00 है0 एवं आराजी ख0नं0 391 रकबा 1.27 है0 किस्म राजकीय चारागाह भूमि में से 1.67 है0 भूमि पर गेहूं, सरसों काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपी0 द्वारा उक्त राजकीय आराजी पर किया गया अनाधिकृत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 27.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)